(राज्य योजना)

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0– 1/12 वें वित्त आ0 31–04/2010 5607

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 29.09.16

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–62 दिनांक–24.09. 2014 की स्वीकृति के आलोक में अनुसूचित जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, राघोपुर बखरी, सीतामढी के चाहरदिवारी निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के सुसंगत शीर्ष में व्यय की स्वीकृति के संबंध में

प्रसंगः– भवन निर्माण विभाग का पत्रांक–8892 दिनांक–12.09.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वर्ष 2014–15 में विभागीय पत्रांक–62 दिनांकः–24.09.2014 द्वारा अनुसूचित जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, राघोपुर बखरी, सीतामंढी के चाहरदिवारी निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹99,96,000/–(निनान्वे लाख छियानवे हजार रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

2– वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना मद से भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 के अन्तर्गत बजट मुख्य शीर्ष "4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य भवन– लघु शीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0318–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–5301–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–**पी0 4059600510318** से राशि व्यय करने की स्वीकृति दी गई थी। उक्त उप शीर्ष के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपलब्ध नही है।

3– विभागीय पत्रांक–62 दिनांकः–24.09.2014 द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में भवन निर्माण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से नियमानुसार व्यय किया जा सकता हैः–

राज्य योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धंटक योजना–उपशीर्ष–0101–अनुसचित जाति के भवन– विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–पी4059017890101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होगे।

विश्वासभाजन

29.9.16

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/निदे0 छात्रावास(नि0/म0)–05–42–38/2014 5607 पटना, दिनाक– 29.09.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/निदेशक(अनुश्रवण) भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सीतामढी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

29.9.16

सरकार के सचिव।